राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

कमांक:– F1(18)RajMES/Estt./Gaz./2018/Part/Court Case/ 1148 दिनांक 25/09/18

आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 के नियम 19 के अन्तर्गत गठित रिक्रूटमेन्ट बोर्ड के द्वारा नियम 20 के अनुसार प्रस्तुत की गई सूची में से नियम 22 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F1(18)RajMES/Estt./Gaz./2018/Part/Court Case/1122 दिनांक 18.09.2018 के क्रम में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद पर, बाड़मेर चिकित्सा महाविद्यालय में, संमेकित वेतन पर नीचे अंकित शर्तो पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

S.No.	Department	Post	Name of Candidate	Date of Birth	Category
1	Anatomy	Associate Professor	ANOOP SINGH GURJAR	14-11-1980	OBC-NON CREAMY

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 लागू होंगे।
2. उक्त चिकित्सक शिक्षक की नियुक्ति एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर होगी।
3. परिवीक्षा काल में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. परिवीक्षा काल के दौरान अभ्यर्थी की सेवाऐं असंतोषजनक पाए जाने पर बिना कोई नोटिस दिए सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी ।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित प्राचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसो में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जाएगी। 7 दिवस में कार्यग्रहण नही करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां कि उसका पदस्थापन किया गया है, के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
8. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

कृ.प.उ.

9. वेतन, अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथी/आरक्षण जाति आदि के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा ।
11. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. उक्त चिकित्सक शिक्षक द्वारा 31.07.2018 के बाद यदि किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. निरीक्षण में भाग लिया है, को कार्यग्रहण नहीं कराया जायेगा एवं नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

कमांक:– F1(18)RajMES/Estt./Gaz./2018/Part/Court Case/ 1148 दिनांक 24/09/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
5. सम्बन्धित अभ्यार्थी .... को रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल से।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर